न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 2020/56

1. सागर जालवी पुत्र श्री दीपक जालवी, जाति सुनार, निवासी मकान नंबर एफ 14, ए.डब्ल्यू.एच.ओ. सोसायटी, सेक्टर–2, सुमन विहार, विद्याधर नगर, जयपुर

–प्रार्थी–

बनाम

1. लादू राम पुत्र श्री देवा गुर्जर, जाति गुर्जर
2. रंगलाल पुत्र श्री देवा गुर्जर, जाति गुर्जर
   निवासीयान झीडा की ढाणी, खो नागोरियान, पुलिस थाना खो नागोरियान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय – दिनांक : 10.03.2022

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टीआई का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है: आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 406 रकबा 0.36 हैक्टेयर वाकै ग्राम खो नागोरियान, पटवार हल्का खो नागोरियान, भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित। उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में लादूराम, रंगलाल पि0 देवा, कौम गुर्जर, हिस्सा 2/3, सागर जालवी पुत्र श्री दीपक जालवी हिस्सा 1/3 दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि तीनों खातेदारान की अविभक्त संयुक्त कृषि भूमि है तथा उक्त खातेदार मनबट के आधार पर काबिज काश्त हे खातेदारान के मध्य वाकई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत कोई तकासमा नहीं हुआ है। कृषि आराजी संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की [illegible] हित है। पक्षकारान खातेदारान् संयुक्त रूप से अविभाजित [illegible] काश्त, उपयोग, उपभोग करते आये है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारों [illegible] खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका अभी तक पक्षकारों के मध्य कानूनन [illegible] बटवारा नहीं हुआ है एवं सभी रूप से मनबट से शामलाती में उपयोग उपभोग कर काश्त करते आये है। कानूनन जब तक वादग्रस्त भूमि का बँटवारा नहीं हो जाता, प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सह

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खातेदारान का समान हक, हिस्सा व अधिकार होता है कोई भी सह काश्तकार बिना बँटवारा, विशिष्ठ भू-भाग को अपनी कह कर संबोधित नहीं कर सकता और ना ही विशिष्ठ भू भाग का बेचान कर सकता है। वादग्रस्त अराजी के रकबे की कमी बेशी आने से तथा परस्पर आने जाने के रास्ते आदि को लेकर आपस में लडाई झगडा शुरू हो गया है। शामलाती काश्त करना व उपयोग उपभोग करना संभव नहीं रहा है। अप्रार्थीगण काश्तकार खातेदार, बिना विधिक तकासमा हुए ही मनबट से काबिज काश्त हिस्सों को बेचान करने की गरज से, खरीददारों को सौदा करने की गरज से दिखाते है तथा ऐसे सम्व्यवहार से पक्षकारों के साम्पत्तिक व कानूनी अधिकारों में कुठाराघात होगा व विवादों की बहुलता बढ़ेगी। इसलिए तकासमा मीट्स व बाउण्ड्स कराने के अधिकारी है। प्रार्थी का वाद मूल दिनांक 15.03.2020 को तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने विधि की मंशा के विरूद्ध प्रार्थी की पूर्व में चले आ रहे कब्जे काश्त वाले भाग को बिना प्रार्थी की सहमति के अवैध रूप से जुताई करने तथा मना करने पर, बिना तकासमा वाले हिस्सों को बेचान हेतु खरीददारों को दिखाने के उद्देशय से लाये तथा प्रार्थी के विरोध करने पर, देख लेने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ। अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूलवाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंदित किया जावे कि वे आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 406 रकबा 0.36 हैक्टेयर वाकै ग्राम खो नागोरियान, पटवार हल्का खो नागोरियान, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर को बिना विभाजन किसी भी व्यक्ति व संस्था को बिना तकासमा हयु अंशतः/भागतः अवैध रूप से बेचान व हस्तान्तरित ना करें तथा ना ही प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा एवं मजाहमत उत्पन्न करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावे। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार महोदय को ता फैसला मूलवाद जरिये भी अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे बिना कानूनी रूप से तकासमा हुये, अवैध रूप से किसी प्रकार के हस्तान्तरण का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं करें तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनायी रखे। अन्य अनुतोष जो प्रकरण की परिस्थितियों में माननीय न्यायालय प्रार्थी के हित में न्यायोचित समझे दिलवाया जावे।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र टीआई के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ प्रमाणित प्रति जमाबंदी, प्रमाणित प्रति [illegible] पेश [illegible] पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:38:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज र[illegible] सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली [illegible] अप्रार्थी संख्या 3 के जवाब का अवसर बंद कर पात्रवली वास्ते बहस टीआई नियत की गई।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

बहस टीआई पर वकील एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस टीआई सुनी जाकर पत्रावली का मय मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर कुर्रेजात रिर्पोट तहसीलदार सांगानेर से चाही गई है ऐसे में जब मूलवाद अन्तरिम निस्तारण में है तो वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद बाहुल्यता न बढ़े।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टीआई विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम टीआई आदेश दिनांक 17.03.2020 को कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 406 रकबा 0.36 हैक्टेयर वाकै ग्राम खो नागोरियान पटवार हल्का खो नागोरियान भू0अ0नि0 क्षेत्र लुनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के मौका एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:38:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner